

फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
बीना खण्डेलवाल बनाम गीता देवी
केस संख्या 35/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
26.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त उपरिथत है। अपीलान्त ने अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 53/2022 व उनवानी गीता देवी बनाम बीना खण्डेलवाल में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के विरुद्ध यह अपील पेश की है।</p> <p>अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 3848/2023 पेश की गई थी जो दिनांक 10.07.2023 को विद्धो कर ली गई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अन्य मामलों में अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश करने के निर्देश दिये है जिसके आधार पर यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है।</p> <p>अपीलान्त को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।</p> <p>अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है।</p> <p>अपीलार्थी ने जिस रिट का उल्लेख किया गया है, उसमें अपीलार्थी का नाम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 आदेश दिनांक 27 फरवरी 2023 की प्रति एडीशनल सोलीसीटर जनरल को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की है।</p> <p>यह अपील प्रत्यर्थी की पुत्रवधु द्वारा पेश की गई है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता या सक्षम मान्य न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिये जावें तब तक पुत्रवधु द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है । फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चार:जोई करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	